उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–48/2020–21

सरकार

–बनाम–

रतनी देवी

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2711/अप0शा0 दिनांक – 04.11.2020 के द्वारा वादी राजेश हंसदा पे0–स्व0 राम हंसदा वर्तमान खान निरीक्षक, गुमला पता–गौरखुँटी (भौरा) थाना–सुदामडीह जिला–धनवाद के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर सिसई थाना काण्ड सं0–99/20 दिनांक–16.08.2020 धारा–379/411 भा0द0वि0 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 एवं 13 (1) झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन एवं भंडारण) अधिनियम–2017 के तहत् अवैद्य रुप से बालू की चोरी कर उत्खनन कर परिवहन करते समय पकडे जाने करने के आरोप में जप्त ट्रेक्टर निबंधन सं0 –JH07G- 8615 डाला नं0– JH07G- 4132 के मालिक रतनी देवी पिता–भूखनाथ बड़ाईक सा0–भदौली थाना–सिसई जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि खान निरीक्षक, गुमला के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त जप्त ट्रेक्टर निबंधन सं0 –JH07G- 8615 डाला नं0– JH07G- 4132 के मालिक रतनी देवी पिता–भूखनाथ बड़ाईक सा0–भदौली थाना–सिसई जिला–गुमला के विरुद्ध अवैध रुप से बालू उत्खनन परिवहन एवं बिक्री करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा) संशोधित) के नियम–4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा–4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम–7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत करने के वावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ट्रेक्टर निबंधन सं0 –JH07G- 8615 डाला नं0– JH07G- 4132 के द्वारा बालू चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है। अभी तक किसी के द्वारा उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं ट्रेक्टर निबंधन सं0 –JH07G- 8615 डाला नं0– JH07G- 4132 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

04.08.22

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.10.13 17:13:42 +05:30
Location: 192.168.43.106

उपायुक्त,
गुमला

04.08.22

उपायुक्त,
गुमला